न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 12/2018 दायरा दिनांक : 09.01.2018

उनवान

1— ओम प्रकाश आत्मज श्री रामनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चितावा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी गणेश नगर, कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— बजरंगलाल आत्मज श्री रामनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चितावा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— रेवतीरमण आत्मज श्री बजरंगलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चितावा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— मोहन बाई पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी म0 नं0 बी—6 कालीदास कॉलोनी, डाक बंगला रोड़, झालावाड

4— कमला बाई पत्नी श्री रामकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चंदावता, पोस्ट श्यामपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

6— शशिकला बेवा घनश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चितावा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक डिलीट

7— चीनू पुत्री श्री घनश्याम जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चितावा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0) हाल मुकाम राजपुरा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री भारत सिंह अडसेला अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.07.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 759/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 6 व 7 ने शेष रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम चितावा, तहसील खानपुर में खतौनी संख्या नयी व पुरानी 115 की आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 508 रकबा 3 बिस्वा, खसरा

नम्बर 509 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 510 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 511 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 598 रकबा 5 बिस्वा कुल 7 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा स्थित है । ग्राम चिताई, ग्राम खानपुर में खाता संख्या 30 की खसरा नम्बर 32 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 34 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 56 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल 7 किता की 52 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है । आराजी बजरंग लाल, ओम प्रकाश पुत्र रामनारायण, नन्दकंवर बेवा रामनारायण, शशिकला बेवा घनश्याम, चीनू पुत्री घनश्याम हिस्सा 3/4 चन्द्रावती बेवा रामगोपाल हिस्सा 1/4 शामलाती खाते में दर्ज है । चन्द्रावती की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकामान प्रतिवादी नम्बर 3 और 4 हैं । रामनारायण के बजरंग लाल, ओम प्रकाश, घनश्याम, गिरराजबाई और नन्द कंवर बाई वारिस हैं । घनश्याम की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस वादी नम्बर 1 व 2 हैं । आराजी पुश्तैनी है । गिरराजबाई ने पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 02.09.2004 से अपना सम्पूर्ण हिस्सा नन्दकंवर बाई के पक्ष में हक त्याग कर दिया है । नन्दकंवर बाई का स्वर्गवास 2006 में हो चुका है । वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 हिन्दू विधि के अनुसार नन्दकंवर बाई के वारिस हैं । नन्दकंवर बाई ने दिनांक 24.04.93 को एक वसीयतनामा वादी नम्बर 3 के पक्ष में निष्पादित किया था । आराजी पुश्तैनी होने के कारण नन्दकंवर बाई को वसीयत करने का अधिकार नहीं था । आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकारियों को प्राप्त करने का अधिकार है । प्रतिवादी नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 1 का ज्येष्ठ पुत्र है उसके मन में बदयान्ति आ गई है। वह फर्जी अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 08.11.2000 के आधार पर अवैध रूप से इंतकाल खुलवाने

पर आमादा है । मृतक नन्दकंवर बाई ने कभी भी प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में वसीयत नहीं की है । नन्दकंवर बाई हमेशा ही वादी नम्बर 3 के पास रही । वादी नम्बर 3 ने उसका अंतिम क्रियाकर्म किया । प्रतिवादी नम्बर 2 ने कभी भी नन्दकंवर बाई की सेवा नहीं की थी । आराजी पुश्तैनी है । वसीयत प्रभावशून्य है । आराजी शामलाती खाते में रहने से आराजी के काश्त करने में कठिनायी आती है । इस कारण वादी नम्बर 1, 2 का 1/3 हिस्सा, वादी नम्बर 3 का 1/3 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाना आवश्यक है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादी नम्बर 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है और प्रतिवादी नम्बर 2 रेवतीरमण का काउंटर क्लेम स्वीकार कर उसे 3/10 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउंटर पेश कर यह कथन किया था कि नन्दकंवर बाई ने रेस्पोडेंट नम्बर 2 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है जिससे वो नन्दकंवर बाई गिरराजबाई के खाते की आराजी का खातेदार कृषक बन गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कूटरचित वसीयत के आधार पर काउंटर क्लेम स्वीकार किया है जो अवैध है । वसीयत संदेह से परे साबित नहीं हुई है । रेवतीरमण ने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि नन्दकंवर बाई ने अंगूठा निशानी नोटेरी के समक्ष किया है, गवाहों ने अपने हस्ताक्षर पहले ही कर दिये थे । नन्दकंवर बाई ने कभी भी वसीयत निष्पादित नहीं की है । वसीयत फर्जी है । सन् 2000 में नन्दकंवर बाई के द्वारा सम्पूर्ण हिस्से का वसीयत किया जाना बताया जा रहा है जबकि

गिरराजबाई के द्वारा नन्दकंवर बाई के पक्ष में रिलीज डीड सन् 2004 में निष्पादित की है । वसीयत के समय गिरराजबाई के हिस्से की आराजी नन्दकंवर बाई के पास मौजूद नहीं थी । इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । स्टाम्प दिनांक 12.10.2000 को खरीदे गये हैं । वसीयत दिनांक 06.11.2000 को आलेखित किया जाना बताया गया है । वसीयतकर्ता स्टाम्प वसीयत के 5 – 7 दिन पहले खरीदाना बताते हैं । डी डब्ल्यू 3 वसीयत साधे कागज पर आलेखित करना और वसीयत के कागज वसीयत के समय खरीद कर लाना बताता है । प्रतिवादी रेवतीरमण के पास नन्दकंवर बाई कभी भी नहीं रही हैं और न ही उन्होंने उसकी सेवा की । वसीयत कूटरचित है । नन्दकंवर बाई के प्राकृतिक वारिसों को वंचित किया गया है । नन्दकंवर बाई का तथाकथित अंगूठा अपठनीय है । नन्दकंवरबाई निरक्षर थी उसके सोचने समझने की शक्ति कम थी, वो अकसर शारीरिक रूप से बीमार रहती थी । पुश्तैनी आराजी है जिसकी वसीयत का नन्दकंवर बाई को कोई अधिकार नहीं है । रजिस्टर्ड वसीयत सन् 24.04.93 को अपीलांट के पक्ष में की थी। वादी नम्बर 1 शशिकला की मृत्यु हो चुकी है उसके विधिक वारिस रेस्पोडेंट नम्बर 7 है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट नम्बर 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज कर आराजी का विभाजन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि वसीयतगृहिता रेस्पोडेंट रेवतीरमण वसीयत के समय उपस्थित रहा है और उसने एक्टीव पार्ट अदा कर वसीयत पर हस्ताक्षर किये हैं । रेवतीरमण वसीयत के स्टाम्प वसीयत लिखने से 5 – 7 दिन पहले क्रय करना बताता है जबकि वसीयत के गवाह श्यामसुन्दर गौतम वसीयत सादा कागज पर लिखना और सादा कागज वसीयतगृहिता द्वारा खरीद कर लाना बताया गया है । गवाहों के बयानों में विरोधाभास है । वसीयत के अनुसार वसीयतकर्ता की आयु उस समय 85 वर्ष की रही होगी, बीमारियों के कारण वो शारीरिक रूप से कमजोर थी। उनका वसीयत के समय निवास ग्राम चितावा रहा है जबकि गवाह खानपुर के निवासी है । ग्राम चितावा खानपुर से 18 किलोमीटर की दूरी में है । वसीयतकर्ता वसीयत का निष्पादन दिनांक 08.11.2000 एवं गवाह श्याम सुन्दर गौतम दिनांक 06.11.2000 को बताता है । वसीयत संदेहास्पद है । वसीयतगृहिता यह भी कथन करते हैं कि नन्दकंवर बाई ने निशानी अंगूठा नोटेरी के समक्ष किया है, गवाहों ने हस्ताक्षर पहले कर दिये थे । वसीयत का निष्पादन दिनांक 06.11.2000 और नोटेरी दिनांक 08.11.2000 अंकित है । आराजी पुश्तैनी है जिसका विभजन नहीं हुआ है । पुश्तैनी सम्पत्ति में विधवा सहदायिक नहीं होती है । विधवा को कोई हक भी प्राप्त नहीं होता है । वसीयत करने का नन्दकंवर बाई को कोई अधिकार नहीं है । गिरराजबाई के द्वारा रिलीज डीड 2004 में की गई है । वसीयत 2000 में लिखी जाना बताया जा रहा है और रिलीज डीड में दी गई भूमि वसीयत की विषय वस्तु नहीं हो सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में ए आई आर 1990 सुप्रीमकोर्ट पेज 396, सी सी सी 2013 (3) दिल्ली पेज 221, ए आई आर 1979

सुप्रीमकोर्ट पेज 14, सी सी सी 2015 (1) इलाहाबाद पेज 809, आर आर डी 2008 पेज 474 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये दस्तावेजात में नन्दकंवर बाई की वसीयत दिनांक 06.11.2000 और गिरराजबाई की रिलीजडीड के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी रामनारायण से विरासत में प्राप्त हुई थी । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार नन्दकंवर बाई इस सम्पत्ति की पूर्ण मालिक थी, उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था । सन् 1993 में नन्दकंवर बाई ने अपीलांट ओम प्रकाश के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी परन्तु ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के अमानवीय व्यवहार एवं कष्ट पहुंचाने के कारण दिनांक 06.11.2000 को की गई वसीयत में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अंकित किया है । गिरराजबाई जो ओम प्रकाश की सगी बहन है उसने अपने बयान डी डब्ल्यू 1 की जिरह में माता नन्दकंवर बाई द्वारा उसे ओम प्रकाश द्वारा दुख देने के बारे में तथ्य प्रकट किये हैं । उससे आहत होकर और पौत्र की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 06.11.2000 को गवाहान के समक्ष वसीयत की थी । गिरराजबाई ने अपने हिस्से की रिलीजडीड 2004 को माता नन्दकंवर बाई के पक्ष में निष्पादित की है । नन्दकंवर बाई ने दिनांक 06.11.2000 को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादी नम्बर 2 रेवतीरमण के पक्ष में की है । नन्दकंवर बाई के स्वर्गवास दिनांक 25.12.2006 से पूर्व गिरराजबाई के द्वारा नन्दकंवर बाई के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित की गई है । तद्नुसार रेस्पोडेंट नम्बर 2 2006 में

नन्दकंवर बाई द्वारा धारित समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो गये हैं । वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है । गवाह डी डब्ल्यू 1 रेवती रमन, डी डब्ल्यू 2 गिरराजबाई, डी डब्ल्यू 3 रघुनाथ प्रसाद, डी डब्ल्यू 4 श्याम सुन्दर गौतम द्वारा नन्दकंवर बाई द्वारा अपनी अंतिम इच्छा के रूप में रेवती रमन के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है । वसीयत गवाहों से प्रमाणित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे 2000 (9) पेज 484, आर आर टी 2016–17 सम्पलीमेन्ट्री पेज 181 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 एक्जीविट पी 1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी कुल 7 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी एम्जीविट पी 2 के अनुसार 7 किता की 52 बीघा 10 बिस्वा आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । एक्जीविट पी 3 भू प्रबन्ध विभाग की नकल जमाबंदी है जिसमें कुल 7 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा आराजी रामनारायण हिस्सा 3/4,, चन्द्रवती बेवा रामगोपाल हिस्सा 1/4 एक्जीविट पी 4 के अनुसार 7 किता की 52 बीघा 10 बिस्वा आराजी रामनारायण हिस्सा 3/4, चन्द्रवती हिस्सा 1/4 दर्ज है । पत्रावली पर एक फोटो प्रति वसीयत एवं रिलीज डीड की फोटो प्रति भी सलंग्न की गई है । पत्रावली पर असल वसीयत द्वारा नन्दकंवर बाई दिनांक 06.11.2000 एक्जीविट डी 1, असल रिलीज डीड द्वारा गिरराजबाई एक्जीविट डी 2 सलंग्न की गई है और बयान वादी ओमप्रकाश पी डब्ल्यू 1, शशिकला पी डब्ल्यू, रमेश पी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं ।

बयान प्रतिवादी रेवतीरमण डी डब्ल्यू 1, गिरराजबाई डी डब्ल्यू 2, रघुनाथ प्रसाद डी डब्ल्यू 3, श्याम सुन्दर गौतम डी डब्ल्यू 4 कराये गये हैं ।

प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद का कारण नन्दकंवर बाई की वसीयत दिनांक 06.11.2000 है इस वसीयत का अवलोकन किया गया । यह वसीयत अपंजीकृत है और 50 –50 रूपये के स्टाम्प में आलेखित की गई है । इसको 06.11.2000 को आलेखित किया गया है और दिनांक 08.11.2000 को नोटेरी के द्वारा सत्यापित किया जाना अंकित है । इस वसीयत में वसीयतकर्ता ने ग्राम चिताई की खाता संख्या 38 की 7 किता की 52 बीघा 10 बिस्वा आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 7 बीघा 17 बिस्वा व जमाबंदी ग्राम चितावा खाता संख्या 18 की 7 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा में अपने हिस्से की 1 बीघा 8 बिस्वा की वसीयत किया जाना अंकित किया है । पत्रावली पर सलंग्न नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 1 के अनुसार कुल 7 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा आराजी में बजरंग लाल, ओम प्रकाश, नन्दकंवर बाई और गिरराजबाई का 12/20 हिस्सा दर्ज है । तदनुसार नन्दकंवर बाई का इसमें हिस्सा 3/20 बनता है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 2 के अनुसार 7 किता की 52 बीघा 10 बिस्वा आराजी में बजरंगलाल, ओम प्रकाश, गिरराजबाई और नन्दकंवर बाई, शशिकला बेवा घनश्याम, चीनू पुत्री घनश्याम का हिस्सा 3/4 है । तद्नुसार नन्दकंवर बाई का हिस्सा 3/20 बनता है । वसीयत के गवाह श्याम सुन्दर गौतम न्यायालय में उपस्थित हुए हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की है :–

तनकी नम्बर 1 : आया वाके ग्राम चितावा में खाता संख्या 115 की कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा व वाके ग्राम चिताई में खाता संख्या 30 की कुल किता 7 की 52 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है ?

.... वादी

तनकी नम्बर 2 : आया मृतक रामनारायण के वारिस बजरंगलाल, ओम प्रकाश व मृतक घनश्याम की बेवा शशिकला व पुत्री चीनू है । गिरराजबाई ने अपना हक त्याग कर दिया तथा नंदकुंवरबाई की मृत्यु हो चुकी है ? **.... वादी**

तनकी नम्बर 3 : आया मृतक रामनारायण के खाते की आराजी में से वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 2, 3 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है ? **.... वादी**

तनकी नम्बर 4 : आया उक्त वर्णित आराजी का विभाजन कर खाता पृथक–पृथक किया जाना आवश्यक है ?

.... वादी

तनकी नम्बर 5 : आया उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी है । नंदकुंवरबाई को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है । वसीयतनामा दिनांक 06.11.2000 फर्जी व कूटरचित है ? **.... वादी**

तनकी नम्बर 6 : आया गिरराजबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए वाद खारिज होने योग्य है ?

.... प्रतिवादी

तनकी नम्बर 7 : आया वसीयतनामा दिनांक 06.11.2000 के आधार पर प्रतिवादी रेवतीरमण मृतक नंदकुंवरबाई, गिरराजबाई के हिस्से पर खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है ? **.... प्रतिवादी**

तनकी नम्बर 8 : अनुतोष ।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर 1 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

मुताबिक नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 1 व पी 2 के अनुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को विधि सम्मत रूप से वादीगण के पक्ष में तय किया है ।

तनकी नम्बर 2 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

वाद पत्र के अनुसार रामनारायण के 3 पुत्र बजरंग लाल, ओम प्रकाश, घनश्याम, एक पुत्री गिरराजबाई और विधवा नंदकुंवरबाई थी । पत्रावली के साथ जो नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 1 सलंग्न है उसमें रामनारायण की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजी बजरंग लाल, ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण, नंदकुंवरबाई बेवा रामनारायण, गिराराजबाई पुत्री रामनारायण हिस्सा 12/20, शशिकला बेवा घनश्याम, चीनू पुत्र घनश्याम हिस्सा 3/20 दर्ज है और एक्जीविट पी 2 में बजरंगलाल, ओम प्रकाश पुत्र रामनारायण, गिरराजबाई पुत्री रामनारायण, नंदकुंवरबाई बेवा रामनारायण, शशिकला बेवा घनश्याम, चीनू पुत्र घनश्याम हिस्सा 3/4 दर्ज है । एक्जीविट पी 1 और एक्जीविट पी 2 से यह बखूबी साबित हो गया है कि रामनारायण के पुत्र बजरंगलाल, ओमप्रकाश, मृतक पुत्र घनश्याम की बेवा शशिकला पुत्री चीनू व गिरराजबाई पुत्री रामनारायण और नंदकुंवरबाई बेवा रामनारायण है । पत्रावली पर सलंग्न रिलीजडीड एक्जीविट डी 2 के अनुसार गिरराजबाई ने अपना हक त्याग अपनी माता नंदकुंवरबाई के पक्ष में किया है और नंदकुंवरबाई की मृत्यु हो जाना वादी और प्रतिवादीगण अपने दावे एवं जवाबदावे की मद संख्या 8 में स्वीकार करते हैं । इस प्रकार यह तनकी पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 3 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

वादग्रस्त आराजी रामनारायण के खाते की है और रामनारायण के वारिस वादी नम्बर 1, 2, 3 और प्रतिवादी नम्बर 1 बजरंगलाल है । गिरराजबाई ने अपने हिस्से की वसीयत नंदकुंवरबाई के पक्ष में की है उनकी माता नंदकुंवरबाई की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में जब तक वसीयत जो कि नंदकुंवरबाई द्वारा रेवतीरमण के पक्ष में किया जाना अंकित किया गया है वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं हो जाती है, तब तक इस आराजी में रामनारायण के हिस्से में वादी नम्बर 1, 2 का हिस्सा 1/3, वादी नम्बर 3 का हिस्सा 1/3 और प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/3 होगा। वसीयत के बारे में पृथक से तनकी नम्बर 5 एवं तनकी नम्बर 7 कायम की गई है । वसीयत के बारे में विस्तृत विवेचना तनकी नम्बर 5 में किया गया है और वसीयत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के खिलाफ तय कर विधिक त्रुटि की है ।

तनकी नम्बर 4 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

तनकी नम्बर 3 वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । वादी नम्बर 1 और 2 का वादग्रस्त आराजी में 3/4 हिस्से में 1/3 हिस्सा है और वादी नम्बर 3 का इसमें 3/4 हिस्से में 1/3 हिस्सा है । प्रतिवादी नम्बर 1 का भी इसी अनुसार 3/4 में 1/3 हिस्सा है । वादी नम्बर 1 की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में 3/4 का 1/3 वादी नम्बर 2 प्राप्त करने की

अधिकारिणी है। तद्नुसार पक्षकारान आराजी का विभाजन कर खाता पृथक से कायम करने के अधिकारी हैं । इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के खिलाफ तय कर त्रुटि की है ।

तनकी नम्बर 5 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

जहां तक नंदकुंवरबाई के वसीयत के अधिकार का प्रश्न है, नंदकुंवरबाई को अपने हिस्से की आराजी की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है । पेश की गई वसीयत एक्जीविट डी 1 का अवलोकन किया गया । यह वसीयत एक्जीविट डी 1 के रूप में पत्रावली पर सलंग्न है, जिसको नंदकुंवरबाई के द्वारा निष्पादित किया जाना अंकित किया गया है । इसमें जिसके पक्ष में वसीयत की गई है, रेवतीरमण उनका भी फोटो सलंग्न किया गया है और वसीयतनामे पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये हैं । वसीयत के गवाह श्याम सुन्दर गौतम न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । यह वसीयत अपंजीकृत है । नोटेरी से तस्दीकशुदा है । वसीयत का निष्पादन दिनांक 06.11.2000 को किया जाना अंकित है और इसको नोटेरी के द्वारा दिनांक 08.11.2000 को तस्दीक किया गया है । वसीयत में नंदकुंवरबाई ने अपने हिस्से को रेवतीरमण के पक्ष में वसीयत किया जाना अंकित किया है । इस वसीयत के निष्पादन के उपरान्त गिरराजबाई ने नंदकुंवरबाई के पक्ष में हक त्याग किया है । वसीयत में नंदकुंवरबाई ने वादग्रस्त आराजी में 3/4 हिस्से में अपने सम्पूर्ण हिस्से और उसको खोलते हुए 7 बीघा 17 बिस्वा और 1 बीघा 8 बिस्वा की वसीयत किया जाना अंकित किया है उसके बाद हक त्याग पत्र से उनको जो आराजी प्राप्त हुई है उसको इस वसीयत का हिस्सा नहीं माना जा सकता है

क्योंकि इसमें नंदकुंवरबाई ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 7 बीघा 17 बिस्वा को स्पष्ट रूप से अंकित किया है । ऐसी स्थिति में यह 7 बीघा 17 बिस्वा व 1 बीघा 8 बिस्वा एवं 1 बीघा 8 बिस्वा आराजी के अलावा बाद में जो आराजी हक त्याग के माध्यम से मिली है उसको वसीयत किया जाना नहीं माना जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने हक त्याग से जो आराजी उनको मिली है उसको भी वसीयत का हिस्सा मानते हुए रेवतीरमण के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया है ।

पत्रावली पर बयान रेवतीरमण डी डब्ल्यू 1 और श्याम सुन्दर गौतम डी डब्ल्यू 4 का अवलोकन किया गया । रेवतीरमण के द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि स्टाम्प खुद नंदकुंवरबाई खरीद कर लायी थी । हस्ताक्षर भी उन्होंने किये थे। ये स्टाम्प वसीयत लिखने के 5–7 दिन पहले खरीदे थे । फिर कहा स्टाम्प कौन लाया था मैं इस बारे में निश्चित नहीं कह सकता । वसीयत करते समय नंदकुंवरबाई की उम्र 80 साल के लगभग होगी । यह कहना गलत है कि कि जब वसीयत की गई वह शारीरिक रूप से कमजोर थी । आंखों से कम दिखता था या कानों से कम सुनायी देता था । दस्तावेज एक्जीविट डी 1 उनके स्वास्थ्य के बारे में जो लिखा है वह सही है । स्टाम्प खरीने की जो तारीख प्रार्थना पत्र में लिखायी है वह सही है । वसीयतनामे पर मैने भी हस्ताक्षर किये हैं । इबारत नंदकुंवरबाई के बताये अनुसार लिखी गयी थी । वसीयत नोटेरी के सामने पढ़कर सुनायी थी । नंदकुंवरबाई ने वसीयत पर अंगूठा निशानी नोटेरी के यहां किये थे । गवाहों ने अपने हस्ताक्षर पहले ही कर दिये थे । फिर बताया कि दोनों गवाहों ने नंदकुंवरबाई के सामने ही हस्ताक्षर व अंगूठा किया था ।

गवाह श्याम सुन्दर गौतम डी डब्ल्यू 4 ने यह कथन किया है कि वसीयतनामा 6 नवम्बर 2000 को लिखा गया है, पुरानी तहसील के सामने लिखा गया था । जिस समय वसीयतनामा लिखा गया था उस समय रघुवीर प्रसाद मालवीय डीड राईटर, रेवतीरमण, नंदकुंवरबाई और मैं स्वयं वहां मौजूद थे और इनके साथ ही आये थे । वसीयतनामा वहीं लिखा गया था । वसीयतनामा सादा कागज पर लिखा गया था । स्टाम्प पर नहीं लिखा गया था । जिस पर वसीयतनामा लिखा गया वह रेवतीरमण लाया था उसी समय खरीद कर लाया था । टाईप करने वाले ने अपने कागज नहीं लगाये थे । नंदकुंवरबाई अंगूठा लगाती थी । नंदकुंवरबाई ने कहा था मेरे खाते में जितनी जमीन है वह वसीयत में लिखा है । वसीयतनामा की नोटेरी मेरे सामने हुई थी । दो दिन बाद वकील साहब के घर पर करवाया था जिसका नाम मुझे आज याद नहीं है । वसीयत के दूसरे गवाह न्यायालय में पेश नहीं हुवा हैं । रेवतीरमण डी डब्ल्यू 1 और डी डब्ल्यू 4 के बयानों में विराधाभास है । रेवतीरमण के द्वारा यह कथन किया गया है कि वसीयत के स्टाम्प नंदकुंवरबाई खरीद कर लायी थी फिर यह कहा है कि स्टाम्प कौन खरीद कर लाया था इस बारे में निश्चित होकर नहीं कहा सकता जबकि गवाह श्याम सुन्दर गौतम डी डब्ल्यू 4 ने यह कथन किया है कि वसीयतनामा एक सादा कागज पर लिखा गया था । स्टाम्प पर नहीं लिखा गया था और वसीयतनामा जिस कागज पर लिखा गया था उसको रेवतीरमण खरीद कर लाया था । दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस वसीयत के मामले में विचारणीय है वह यह है कि वसीयत का निष्पादन दिनांक 06.11.2000 को किया गया है और नोटेरी के द्वारा इसकी तस्दीक दिनांक 08.11. 2000 को की गई है। रेवतीरमण ने वसीयत के निष्पादन और तस्दीक में एक्टिव भूमिका निभायी है । रेवतीरमण के द्वारा अपने बयानात में यह कथन किया गया है कि वसीयत नोटेरी के सामने

पढ़कर सुनायी थी । नंदकुंवरबाई ने अंगूठा नोटेरी साहब के सामने किया था । गवाहों ने अपने हस्ताक्षर पहले ही कर दिये थे । अज बताया कि गवाहों ने नंदकुंवरबाई के सामने ही हस्ताक्षर और अंगूठा किये थे । नंदकुंवरबाई ने दोनों गवाहों के सामने निशानी अंगूठा किया था । इस प्रकार डी डब्ल्यू 1 और डी डब्लू 4 के द्वारा नंदकुंवरबाई के द्वारा एवं गवाहों के द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाबत जो कथन किया गया है उसमें विराधाभास है । गवाह श्याम सुन्दर गौतम ने अपने बयान में यह कथन किया है कि वसीयतनामा की नोटेरी मेरे सामने हुई थी जो दो दिन बाद वकील साहब के घर पर करवायी गयी थी । एक गवाह वसीयतनामे के समय मौजूद था जिसका नाम मुझे याद नहीं है । इस प्रकार वसीयत के गवाह श्याम सुन्दर गौतम ने जो बयानात दिये हैं उसमें उनके द्वारा जिरह में यह कथन नहीं किया गया है कि दूसरे गवाह ने भी उनके सामने ही वसीयत पर नंदकुंवरबाई के निर्देशानुसार हस्ताक्षर किये थे । जिरह में उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जिस जगह वसीयत लिखी गयी थी उस समय रघुवीर प्रसाद मालवीय डीड राईटर नंदकुंवरबाई और मैं स्वयं मौजूद था । वसीयत पर दूसरे गवाह बजरंग लाल के हस्ताक्षर हैं । न तो डी डब्लू 4 ने इस हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है और न ही यह कथन किया है कि उनके द्वारा वसीयत पर उनके सामने नंदकुंवरबाई के निर्देशानुसार हस्ताक्षर किये थे । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयतनामे पर नंदकुंवरबाई के द्वारा यह अंकित किया गया है कि वह अकसर बीमार रहती थी शारीरिक रूप से अत्यन्त कमजोर है । आंखों से कम दिखायी देता है और असहाय स्थिति में है जबकि वसीयत के गवाह डी डब्ल्यू 4 उनको स्वस्थ बताते हैं । रेवतीरमण के बयानात में विराधाभास है एक तरफ वो वसीयतकर्ता को स्वस्थ्य बताते हैं और दूसरी तरफ यह कथन करते हैं कि उनके स्वास्थ्य के बारे में वसीयत में जो लिखा गया है

वह सही है । इस प्रकार वसीयत का संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । वसीयत के निष्पादन में रेवतीरमण वसीयतग्रहीता ने भी एक्टिव पार्ट अदा किया है। सी सी सी 2015 (3) पेज 263, सी सी सी 2015 (1) इलाहाबाद पेज 809, सी सी सी 2007 (3) कर्नाटक पेज 376, सी सी सी 2013 (3) दिल्ली पेज 221 यहां चस्पा होती है । इन तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 5 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । नंदकुंवरबाई को वसीयत करने का अधिकार था परन्तु वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम प्रमाणित नहीं है । इस कारण यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 6 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । गिरराज बाई के द्वारा अपनी समस्त आराजी अपनी माता के पक्ष में रिलीज कर दी गई है । वादग्रस्त आराजी में अब उनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इस तनकी को प्रतिवादीगण के खिलाफ में तय किया है ।

तनकी नम्बर 7 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी **पर** है । जहां तक वसीयत दिनांक 06.11.2000 का प्रश्न है, तनकी नम्बर 5 में इसकी विस्तृत विवेचना की जा चुकी है । यह वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं है । जहां तक गिरराजबाई के हिस्से का प्रश्न है, नंदकुंवरबाई ने जो वसीयत की

थी वह गिरराजबाई के द्वारा रिलीजडीड लिखे जाने से पूर्व की थी और अपने हिस्से को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए की थी । ऐसी स्थिति में गिरराजबाई के द्वारा वसीयत के उपरान्त अपने हिस्से की रिलीज की गई आराजी में उस हिस्से को वसीयत का हिस्सा नहीं माना जा सकता है । वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं है । तद्नुसार गिरराजबाई का हिस्सा रिलीजडीड के अनुसार नंदकुंवरबाई को प्राप्त होता है और नंदकुंवरबाई की मृत्यु के उपरान्त उसका हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार समस्त पक्षकारान प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 8 : तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4 वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । तनकी नम्बर 5 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । तनकी नम्बर 6, 7 प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है । तद्नुसार दावा वादी डिक्री होने योग्य है और प्रतिवादी नम्बर 2 का काउंटर क्लेम खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर त्रुटि की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 अपास्त किया जाता है । ग्राम चितावा की वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 115 की खसरा नम्बर 497 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 508 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 509 रकबा 4 बिस्वा, खसरा

नम्बर 510 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 511 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 598 रकबा 5 बिस्वा कुल 7 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा और चिताई की खतौनी संख्या 30 की खसरा नम्बर 32 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 34 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 56 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल 7 किता की 52 बीघा 10 बिस्वा आराजी में वादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 और प्रतिवादी नम्बर 3 और प्रतिवादी नम्बर 4 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है । तदनुसार आराजी के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है ।

पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार खानपुर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम डिक्री जारी करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा